कार्यालय आयुक्त,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)262/जनरल/संस्था/बीमा/2010/ 17380-440 दिनांक : 29 OCT 2010

अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर/संभागीय/जिला कार्यालय

विषय : जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1), शासन सचिवालय, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.29(29)प्रसु/सम/अनु–1/2010 दिनांक 11.10.2010 की छायाप्रति संलग्न पत्रानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप निदेशक (संस्थापन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

क्रमांक प. 20(6)प्र0सु0/सम./अनु–1/2010 जयपुर, दिनांक 11-10-10

परिपत्र

सरकार ने विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के त्वरित एवं बेहतर क्रियान्वयन की दृष्टि से जिला परिषदों एवं अन्य पंचायत राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार एवं कार्य प्रदान करते हुये जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारीगण को भी इन संस्थाओं का सदस्य बनाया है। वर्तमान में पंचायत समितियों के माध्यम से स्थानीय शासन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा), प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, निर्माण, चिकित्सा, विद्युत आदि से संबंधित महत्वपूर्ण विकास कार्य संपादित हो रहे है। इन कार्यो के संदर्भ में इन संस्थाओं द्वारा समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 20(1)प्र0सु0/सम./अनु–1/2000 दिनांक 8.5.2000 द्वारा संबंधित अधिकारीगण को पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने के निर्देश जारी किये किये हुये है। शासन के ध्यान में लाया गया है कि संबंधित अधिकारीगण इन संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों में भाग नही लेते

अतः समस्त संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में संबंधित अधिकारीगण आवश्यक रूप से भाग लेवें।

प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण से अनुरोध है कि कृपया इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएं एवं अपने अधिनस्थ विभागों के संबंधित जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारीगण को पंचायती राज संस्थाओं की बैठक में भाग लेने के लिए अपने स्तर से भी निर्देश जारी कर पाबंद करें तथा जो अधिकारीगण इन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

समस्त जिला कलेक्टरों को भी यह निदेश दिये जाते है कि वे अपने स्तर पर विभिन्न पंचायत समितियों की बैठकों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि संबंधित अधिकारीगण बैठकों में भाग ले रहे है या नहीं। बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारीगण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को लिखा जावें।

(डा0 अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव